

निर्यात निरीक्षण परिषद्

(आई एस ओ 9001 : 2015 प्रमाणित संस्थान)

(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)

EXPORT INSPECTION COUNCIL

(An ISO 9001:2015 Certified Organisation)
(Ministry of Commerce & Industry, Govt. of India)

सं. निनिप/प्रशा/आरटीआई/80001/2024 /1055

दिनांक: 2 अगस्त, 2024

कार्यालय आदेश सं. 52/2024

विषय- आरटीआई अधिनियम 2005 के अंतर्गत निनिप/निनिअ में सीपीआईओ, एसीपीआईओ एवं एफएए के पदनाम-संबंध में।

पूर्व आदेश के अधिक्रमण में, संयुक्त प्राधिकारी निम्नलिखित निनिप/निनिअ अधिकारियों को आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 5(1) और 19(1) के अनुसार उनके नाम के समक्ष उल्लिखित विषय मामलों के संबंध में तत्काल प्रभाव से केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ), सहायक लोक सूचना अधिकारी (एसीपीआईओ) और प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (एफएए) के रूप में नियुक्त किए जाते हैं:-

क्रम सं.	स्थान	सीपीआईओ का नाम एवं पदनाम	एसीपीआईओ का नाम एवं पदनाम	टेलीफोन नं.
1	निर्यात निरीक्षण परिषद -नई दिल्ली	श्री नितीन वाई. मेश्राम उप निदेशक (तक.) निर्यात निरीक्षण परिषद - नई दिल्ली टेलीफोन नं.011-20815386/87/88	श्री चिराग गाडी तकनीकी अधिकारी	011-20815386/87/88
2	निर्यात निरीक्षण अभिकरण-दिल्ली		श्री अनूप सिंह सेंगर सहायक निदेशक (तक.)	011-23626320/21
3	निर्यात निरीक्षण अभिकरण-मुंबई		श्री विवेक आर. बिडवई उप निदेशक (तक.)	022-20883401/20889619
4	निर्यात निरीक्षण अभिकरण-चेन्नई		श्री सतीश कुमार टी. तकनीकी अधिकारी	044-28552841/42
5	निर्यात निरीक्षण अभिकरण-कोलकाता		श्रीमती पप्पी ख्वास उप निदेशक (तक.)	033-22355057
6	निर्यात निरीक्षण अभिकरण-कोटिच		श्री सुमित गुप्ता सहायक निदेशक (तक.)	0484-2316945

2. श्री कुलदीप सिंह, उप निदेशक (तकनीकी) निनिप, निनिप के साथ-साथ निनिअ के लिए आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अनुसार प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (एफएए) बने रहेंगे।


3. इस आदेश से पहले प्राप्त सभी आरटीआई आवेदनों को उसी तरह से संभाला जाएगा जैसे कि इस आदेश से पहले संभाला जाता था। निनिप/निनिअ के अधिकारी [मान्य जन सूचना अधिकारी (पीआईओ)] जिनसे सीपीआईओ/एसीपीआईओ द्वारा आवेदक को जवाब देने के लिए जानकारी मांगी गई है, वे सीपीआईओ/एसीपीआईओ को पूर्ण सहयोग देना सुनिश्चित करें और निर्धारित समय-सीमा के अंतर्गत पारदर्शी तरीके से जानकारी उपलब्ध कराने के

कुलदीप सिंह

लिए मामले को तत्परता से लें। यदि अधिकारी के पास कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, तो 'शून्य' उत्तर दिया जाना चाहिए।

4. निनिप, नई दिल्ली के संबंधित एसीपीआईओ सीपीआईओ की अनुपस्थिति/छुट्टी में आरटीआई कार्य को संभालेंगे।
 5. एसीपीआईओ की अनुपस्थिति में, संबंधित निनिअ में अभिकरणों के प्रभारी निनिप को सूचित करते हुए आरटीआई कार्य को वैकल्पिक अधिकारी को सौंप सकते हैं।
- यह निदेशक (आई एंड क्यू/सी) के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

भवदीय




(कुलदीप सिंह)

उप निदेशक (तकनीकी)

सेवा में,

1. निनिप एवं निनिअ के संबंधित अधिकारी
2. निदेशक (आई एंड क्यू/सी), निर्यात निरीक्षण परिषद, नई दिल्ली-जानकारी के लिए।
3. अपर निदेशक, निर्यात निरीक्षण परिषद, नई दिल्ली-जानकारी के लिए।
4. संयुक्त/उप निदेशक (प्रभारी), निर्यात निरीक्षण अभिकरण-मुंबई/कोच्चि/कोलकाता/चेन्नई/दिल्ली
5. कार्यालय आदेश फाइल
6. आरटीआई प्रकोष्ठ
7. आईटी अनुभाग-आदेश की प्रति वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ
8. हिन्दी अनुभाग-हिन्दी अनुवाद हेतु



निर्यात निरीक्षण परिषद्

(आई एस ओ 9001 : 2015 प्रमाणित संस्थान)

(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)

EXPORT INSPECTION COUNCIL

(An ISO 9001:2015 Certified Organisation)
(Ministry of Commerce & Industry, Govt. of India)

No.EIC/ADMN/RTI/80001/2024/ 1055

Dated: 2nd August, 2024

OFFICE ORDER No. 52 /2024

Subject: Designation of CPIO, ACPIO & FAA at EIC/EIAs under RTI Act 2005-Reg

In supersession of earlier Orders, the Competent Authority is pleased to appoint the following Officers of EIC/EIAs as Central Public Information Officer (CPIOs), Assistant Public Information Officers (ACPIOs) and First Appellate Authority (FAA) as per Section 5 (1) and 19(1) of RTI Act 2005 in respect of the subject matters mentioned against their names with immediate effect:-

Sl. No	Location	Name of the CPIO & Designation	Name of the ACPIO & Designation	Telephone Number
1	Export Inspection Council-New Delhi	Shri Nitin Y. Meshram Deputy Director (Tech.) Export Inspection Council- New Delhi Tel. No. 011-20815386/87/88	Shri Chirag Gadi Technical Officer	011-20815386/87/88
2	Export Inspection Agency -Delhi		Shri Anoop Singh Sengar Assistant Director (Tech.)	011-23626320/21
3	Export Inspection Agency -Mumbai		Shri Vivek R. Bidwai Deputy Director (Tech.)	022- 20883401/20889619
4	Export Inspection Agency -Chennai		Shri Satish Kumar T. Technical Officer	044- 28552841/42
5	Export Inspection Agency -Kolkata		Smt. Pappi Khawas Deputy Director(Tech.)	033-22355057
6	Export Inspection Agency -Kochi		Shri Sumit Gupta Assistant Director(Tech.)	0484-2316945

2. Shri Kuldeep Singh, Deputy Director (Tech.) EIC shall continue be the First Appellate Authority (FAA) as per Section 19(1) of RTI, Act 2005 for EIC as well as EIAs.

3. All the RTI applications received before this order will be handled in the same manner as it would have been handled in the absence of this Order. The Officers of EIC/EIAs [Deemed Public Information Officer (PIOs)] from whom the information sought by CPIO/ACPIOs for responding to the applicant should ensure full cooperation to CPIO/ACPIOs and handle the matter diligently to provide the available information in a transparent manner within the stipulated time frame. In case there is no information with the Officer, 'NIL' response should be given.

4. The concerned ACPIO of EIC, New Delhi will handle the RTI related work, in the absence/leave of CPIO.

Final

5. In the absence of ACPIOs at respective EIAs, In-charge of Agencies may assign the RTI work to alternate officer, under intimation to EIC.

These issues with approval of the Director (I & Q/C), EIC

Yours faithfully



(Kuldeep Singh)

Deputy Director (Tech.)

To,

1. Officers concerned of EIC and EIAs
2. The Director(I & Q/C), Export Inspection Council, New Delhi- for kind information
3. The Additional Director, Export Inspection Council, New Delhi-for kind information
4. Joint/Deputy Director(I/c), Export Inspection Agency-Mumbai/Kochi/Kolkata/Chennai/Delhi
5. Office Order File
- ✓ 6. RTI Cell
7. IT Section-with request to upload the copy of the Order on EIC website
8. Hindi Section-for Hindi Translation